भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3288

उत्तर देने की तारीख : 12.03.2026

ऋण तक पहुंच में बाधाएं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संपार्श्विक मांगें

3288. श्री पुष्पेंद्र सरोज :
सुश्री इकरा चौधरी :
एडवोकेट प्रिया सरोज :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में योजनाओं के अंतर्गत संपार्श्विक-मुक्त ऋण मानदंडों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है, क्योंकि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सूक्ष्म और लघु उद्यमियों से अतिरिक्त संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के लिए निरंतर दबाव डाल रहे हैं और यदि हां, तो उक्त समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत, लंबित और अस्वीकृत एमएसएमई ऋण आवेदनों की कुल संख्या कितनी है और प्रतिशत कितना है और उक्त अस्वीकृति के राज्य-वार, और विशेषकर उत्तर प्रदेश के लिए जिला-वार दर्ज किए गए मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या संपार्श्विक-मुक्त ऋण दिशानिर्देशों के उल्लंघन या विचलन का आकलन करने के लिए कोई लेखापरीक्षा या निरीक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्रेडिट गारंटी मानदंडों का समान प्रवर्तन सुनिश्चित करने और राज्य में ग्रामीण तथा पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए ऋण पहुंच में सुधार हेतु क्या सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ) : सरकार एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जैसी योजनाओं के तहत पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को बिना किसी कोलेटरल सुरक्षा के ऋण प्रदान करती है। वित्तीय सेवाएं विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों के तहत कोलेटरल मुक्त ऋण की प्रगति की आवधिक समीक्षा राज्य स्तर बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठकों और जिला परामर्शी समिति/जिला स्तर समीक्षा समिति (डीसीसी/डीएलआरसी) बैठकों में की जाती है। बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने की नियमित रूप से सलाह दी जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक के डेटा के अनुसार, विगत पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को राज्य-वार ऋण बकाया **अनुबंध I** पर है। एसएलबीसी उत्तर प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र को जिला-वार ऋण बकाया डेटा **अनुबंध** II पर है।

सरकार ने, उत्तर प्रदेश सहित देश में ग्रामीण और प्रथम-पीढ़ी के उद्यमियों को शामिल करते हुए, क्रेडिट गारंटी मानकों का समान प्रवर्तन सुनिश्चित करने और एमएसएमई के लिए ऋण पहुँच में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें अन्यों के साथ-साथ निम्न शामिल है:

i. एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) का कार्यान्वयन करता है और सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों द्वारा एमएसई को बिना किसी कोलेटरल सुरक्षा और तृतीय पक्ष गारंटी के प्रदान किए गए ऋणों पर क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है। स्कीम के तहत गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए है। सीजीटीएमएसई ने एमएसई के लिए पिछले बाईस वर्षों में 3.22 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटियों की तुलना में विगत तीन वर्षों में 6.13 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटियों को अनुमोदन प्रदान किया है, जो विगत तीन वर्षों में स्कीम के तहत स्वीकृत ऋणों में अत्यधिक उछाल को दर्शाता है। वर्ष 2000 में स्कीम की शुरुआत से, दिनांक 28.02.2026 तक, उत्तर प्रदेश में एमएसई को 1.38 लाख करोड़ रुपए राशि की 19.27 लाख गारंटियाँ प्रदान की गई है।

ii. आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड की स्थापना एमएसएमई में इक्विटी फंडिंग के रूप में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश हेतु की गई है जिसमें भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए और निजी इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वर्ष 2021 में इसकी शुरुआत से, दिनांक 28.02.2026 तक, 17,438 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करते हुए 731 एमएसएमई को सहायता प्रदान की गई है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 23 एमएसएमई को सहायता प्रदान की गई है।

iii. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए, विनिर्माण के लिए 50 लाख रुपए की परियोजना लागत और सेवा उद्यमों के लिए 20 लाख रुपए की परियोजना लागत के साथ, 35% तक की मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत से दिनांक 28.02.2026 तक, 29,389.86 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ 10.76 लाख सूक्ष्म इकाइयों को सहायता प्रदान की गई है, इनमें से उत्तर प्रदेश में 3,911.15 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ 1.14 लाख सूक्ष्म इकाइयों को सहायता प्रदान की गई है।

iv. पीएम विश्वकर्मा स्कीम की शुरुआत दिनांक 17.09.2023 को 18 पारंपरिक व्यवसायों में अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पियों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। इस स्कीम में अधिकतम 8% के ब्याज सब्वेंशन के साथ 3 लाख रुपए तक के ऋणों का प्रावधान शामिल है। इस स्कीम की शुरुआत से, कुल 4.82 लाख ऋण खातों में 3,992.43 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में 13,229 ऋण खातों में 114.02 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं।

v. आरबीआई द्वारा सूचित किया गया है कि 24 जुलाई, 2017 के आरबीआई मास्टर डायरेक्शन - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण देने संबंधी पैरा 4.1 (क) के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों को दिए गए 10 लाख रुपए तक के ऋण के मामले में कोलेटरल सुरक्षा स्वीकार न करने का आदेश दिया गया है। दिनांक 9 फरवरी, 2026 के आरबीआई परिपत्र के अनुसार, यह सीमा 1 अप्रैल, 2026 से 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है।

vi. इसके अतिरिक्त, एमएसएमई मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सहित देश में एमएसएमई के मध्य क्रेडिट उपलब्धता बढ़ाने के लिए, अपने फील्ड कार्यालयों के माध्यम से, एमएसएमई/संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उद्योग विभागों और अन्य हितधारकों जैसे सीजीटीएमएसई, सिडबी, बैंकों, एमएसएमई संस्थानों आदि के समन्वय में नियमित रूप से आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

*****

अनुबंध-I

'ऋण तक पहुँच में बाधाएँ और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संपार्श्विक मांगें' पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3288, जिसका उत्तर दिनांक 12.03.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को ऋण बकाया पर राज्य-वार डेटा											
											(खाते लाख में; राशि करोड़ रुपए में)
क्र.सं.	राज्य का नाम	31 मार्च, 2021 तक कुल एमएसएमई		31 मार्च, 2022 तक कुल एमएसएमई		31 मार्च, 2023 तक कुल एमएसएमई		31 मार्च, 2024 तक कुल एमएसएमई		31 मार्च, 2025 तक कुल एमएसएमई	
		खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	अंडमान और निकोबार	0.08	786.59	0.07	769.05	0.06	914.82	0.08	989.97	0.07	1031.14
2	आंध्र प्रदेश	13.80	62878.79	13.26	71877.26	12.16	83162.34	12.06	101085.90	9.67	107816.24
3	अरुणाचल प्रदेश	0.18	906.96	0.18	1014.15	0.16	1091.71	0.12	1514.76	0.14	2125.10
4	असम	17.86	22698.71	5.94	20837.48	4.62	24120.24	3.57	28729.48	3.66	33829.83
5	बिहार	25.16	33303.92	10.62	34002.47	8.80	40029.60	12.35	51766.42	11.94	63666.35
6	चंडीगढ़	0.51	9729.48	0.41	11968.00	0.40	12605.26	0.47	14634.23	0.44	16688.12
7	छत्तीसगढ़	7.42	25988.89	4.43	31919.39	3.63	36423.07	3.94	43694.34	4.17	51263.49
8	दादरा एवं नगर हवेली	0.11	1186.64	0.06	1160.42	0.05	1356.75	0.10	2345.29	0.10	2822.84
9	दमन और दीव	0.03	361.80	0.03	674.50	0.02	699.97	6.95	179638.00	5.50	192991.45
10	दिल्ली	8.14	108796.40	4.29	130604.29	6.02	139553.03	0.56	7350.41	0.49	8312.40
11	गोवा	0.87	5578.65	0.68	5700.10	0.56	6126.68	11.90	251504.11	13.58	295170.89
12	गुजरात	14.63	146872.76	10.29	185075.74	8.73	211808.82	6.75	122258.78	6.79	147569.05
13	हरियाणा	8.64	62457.67	6.57	80103.24	4.78	97119.95	1.52	16147.28	1.48	18912.60
14	हिमाचल प्रदेश	1.83	9830.08	1.64	11665.19	1.47	13683.43	3.86	24036.19	3.87	24595.20
15	जम्मू और कश्मीर	3.90	16354.21	4.15	16694.63	2.10	16502.48	6.16	34398.89	5.50	39846.34
16	झारखंड	13.49	23839.56	6.71	26257.14	5.46	29732.02	16.07	165082.73	15.76	188130.94
17	कर्नाटक	24.32	106007.59	15.48	126575.65	12.83	140027.83	11.32	85221.33	7.48	99818.56
18	केरल	15.46	60200.80	14.49	67543.53	11.18	76807.52	0.09	745.13	0.11	1098.13

19	लक्षद्वीप	0.02	22.65	0.01	25.93	0.01	32.46	0.01	625.99	0.01	24.52
20	मध्य प्रदेश	23.68	63009.09	15.85	72347.61	13.14	83396.88	15.14	101220.23	15.31	117419.47
21	महाराष्ट्र	39.94	352894.81	26.91	339446.16	21.86	380301.18	29.81	425437.84	28.67	457979.43
22	मणिपुर	0.89	1153.81	0.45	1159.81	0.31	1429.85	0.37	1534.83	0.35	1691.62
23	मेघालय	0.53	1237.84	0.25	1334.84	0.17	1467.25	0.21	1834.20	0.25	2272.20
24	मिजोरम	0.29	697.14	0.15	705.42	0.12	735.25	0.12	851.34	0.13	970.88
25	नागालैंड	0.44	863.59	0.17	880.93	0.16	1059.01	0.22	1268.83	0.25	1476.94
26	ओडिशा	20.89	36311.11	12.03	39905.15	8.92	45128.43	8.82	53516.04	7.45	62994.99
27	पुदुचेरी	1.17	3192.45	0.92	3456.85	0.59	3986.93	0.49	4082.11	0.51	4733.69
28	पंजाब	9.71	59272.69	7.38	70967.23	5.36	80893.45	6.48	96611.66	6.12	107259.73
29	राजस्थान	16.27	76129.31	10.58	95615.51	8.52	104760.37	11.03	151219.10	11.42	179488.95
30	सिक्किम	0.33	813.04	0.18	808.66	0.15	970.95	0.14	1997.76	0.11	1141.51
31	तमिलनाडु	34.21	191350.67	39.07	219118.87	28.07	239879.93	23.50	281696.93	21.06	320483.61
32	तेलंगाना	9.79	66334.66	7.37	83155.95	5.89	96028.26	7.52	116962.81	7.87	135268.98
33	त्रिपुरा	3.05	3116.69	0.61	2168.20	0.53	2340.35	1.02	2978.15	1.13	3644.44
34	उत्तराखंड	10.43	28751.41	2.56	17591.92	3.21	47319.83	2.69	26006.06	5.03	53164.23
35	उत्तर प्रदेश	29.58	105215.15	24.33	136723.44	19.75	132130.25	27.45	195413.75	24.63	214625.72
36	पश्चिम बंगाल	62.53	95779.19	16.51	101202.28	13.53	106509.13	24.55	131256.60	22.10	148632.47
	कुल	**420.19**	**1783924.80**	**264.67**	**2011056.98**	**213.32**	**2260135.28**	**257.45**	**2725657.46**	**243.15**	**3108962.05**

स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता क्षेत्र रिटर्न (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर; स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित)

अनुबंध-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3288, जिसका उत्तर दिनांक 12.03.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

एमएसएमई को जिला-वार बकाया				
क्र.सं.	जिले का नाम	दिनांक 31.03.2023 तक	दिनांक 31.03.2024 तक	दिनांक 31.03.2025 तक
1	आगरा	9574.34	11106.18	13034.90
2	अलगढ़	3404.23	4150.63	4925.57
3	अंबेडकरनगर	733.80	982.92	1169.13
4	अमेठी	779.30	936.60	1059.49
5	अमरोहा	663.83	1014.25	1159.58
6	औरैया	360.62	499.50	616.89
7	अयोध्या	1408.57	1778.20	2229.85
8	आजमगढ़	1595.45	1943.97	2331.10
9	बागपत	503.33	613.48	695.61
10	बहराईच	1137.16	1292.11	1463.53
11	बलिया	780.70	1012.90	1258.63
12	बलरामपुर	368.38	553.86	632.56
13	बाँदा	358.12	548.60	685.00
14	बाराबंकी	1463.95	1797.38	1802.98
15	बरेली	4583.89	5607.35	6682.39
16	बस्ती	878.51	1217.80	1503.99
17	भदोही	1258.81	1656.67	1862.92
18	बिजनौर	1557.14	1976.29	2297.85
19	बदायूं	695.54	932.59	1246.59
20	बुलन्दशहर	1733.76	2193.92	2694.62
21	चंदौली	1027.71	1230.95	1476.22
22	चित्रकूट	226.03	314.31	364.14
23	देवरिया	1141.52	1482.33	1800.11
24	एटा	654.13	779.70	884.42
25	इटावा	751.06	976.97	1146.03
26	फर्रुखाबाद	632.35	740.29	856.75
27	फ़तेहपुर	652.41	1021.80	1343.91
28	फिरोजाबाद	1858.96	2370.85	2750.63
29	गौतमबुद्धनगर	17343.37	21913.46	26899.28
30	गाजियाबाद	11020.70	13452.41	16688.20
31	गाजीपुर	1382.36	1713.44	1971.10
32	गोंडा	718.69	1104.04	1281.31
33	गोरखपुर	5377.01	6905.10	8426.27
34	हमीरपुर	405.49	539.27	579.55
35	हापुड	1349.95	1713.38	2177.60
36	हरदोई	1262.84	1465.01	1756.14
37	हाथरस	714.22	866.78	977.47

38	जालौन	455.41	596.92	689.33
39	जौनपुर	1535.85	1860.89	2320.71
40	झांसी	2070.09	2773.56	3300.87
41	कन्नौज	540.71	664.07	805.49
42	कानपुर देहात	414.69	601.75	727.27
43	कानपुर नगर	13209.22	14672.66	17089.38
44	कासगंज	339.69	435.13	549.53
45	कौशांबी	304.97	401.70	484.19
46	कुशीनगर	781.73	1070.72	1395.17
47	लखीमपुर खीरी	1254.67	1451.11	1736.35
48	ललितपुर	355.93	441.50	590.12
49	लखनऊ	16725.02	19573.16	24140.59
50	महाराजगंज	682.75	986.77	1220.39
51	महोबा	326.61	432.28	566.13
52	मैनपुरी	729.96	927.61	952.36
53	मथुरा	2857.36	3471.54	4474.62
54	मऊ	723.68	959.73	1185.00
55	मेरठ	7144.32	8283.31	9798.08
56	मिर्जापुर	1045.30	1578.31	1874.54
57	मुरादाबाद	6357.67	6627.81	7189.93
58	मुजफ्फरनगर	3714.22	4466.99	5371.26
59	पीलीभीत	716.77	834.78	1046.51
60	प्रतापगढ़	936.88	1203.16	1443.52
61	प्रयागराज	4345.50	5436.51	6604.92
62	रायबरेली	1460.90	1910.97	2302.18
63	रामपुर	781.03	1232.22	1434.84
64	सहारनपुर	2181.53	2878.84	3570.33
65	संभल	534.09	782.07	1011.41
66	संतकबीरनगर	542.35	701.04	865.05
67	शाहजहांपुर	1252.18	1458.65	1823.57
68	शामली	539.98	738.19	980.78
69	श्रावस्ती	154.11	174.83	203.31
70	सिद्धार्थनगर	452.74	638.44	841.53
71	सीतापुर	975.69	1221.29	1435.39
72	सोनभद्र	986.61	1351.25	1589.08
73	सुल्तानपुर	898.37	1135.75	1388.17
74	उन्नाव	983.72	1136.45	1321.33
75	वाराणसी	8946.68	11153.18	13372.11
स्रोत: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक जो एसएलबीसी के सदस्य हैं।				